

pan>

Title: Introduction of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of Section 30).

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं पूस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People (Amendment) Act, 1951."

The motion was adopted.

श्री राहुल शेवाले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.50 ½ hours